संख्या-173/18-5-2007-60(एस0पी0)/2006

प्रेषक,

गोविन्दन नायर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,उ0प्र0,कानपुर ।

लघु उद्योग अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 07 मार्च,2007

विषय:-<u>उ0प्र0 इण्डस्ट्री फैसिलीटेशन कौंसिल में सदस्य के रूप में इण्डस्ट्रीज आर्गनाइजेशन उ0प्र0 के प्रतिनिधि नामित किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-245/7-एसपीएस/(आईएफसी)/2006-07 दिनांक-13-02-2007 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम संख्या-27 आफ 2006 की धारा-21 की उपधारा-1 के खण्ड(एक)(दो)(तीन)व(चार) के प्राविधानों के अर्न्तगत उ0प्र0 माइक्रो एवं स्माल इन्टरप्राइजेज फैसिलीटेशन कौंसिल, कानपुर के संचालन हेतु इंडस्ट्रीज आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के नाम/पदनाम से नामित किए जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराते हुए आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है :-

2- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा सम्यक-विचारोपरान्त निम्न प्रतिनिधियों को पदनाम से नामित किया जाता है:-

1-आयुक्त एवं उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर	अध्यक्ष
2-इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3-प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एफ0सी0 कानपुर द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4-महाप्रबन्धक(विधि), यू0पी0एस0आई0डी0सी0,कानपुर	सदस्य
5-अपर निदेशक उद्योग (क्रय),उ0प्र0,कानपुर	सदस्य-सचिव

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नामित प्रतिनिधि सदस्यों के नाम शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रश्नगत प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
लघु उद्योग अनुभाग-5
संख्या :-68/18-5-2007-60(एसपी)/2006
लखनऊ : दिनॉक : 19,जनवरी,2007

अधिसूचना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006 (अधिनियम संख्या-27 सन् 2006) की धारा 21 की उपधारा(3) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
अर्थात:-

उत्तर प्रदेश राज्य सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरता परिषद् नियमावली,2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरता परिषद् नियमावली,2006 कही जायेगी।
(2) यह दिनॉक-19(माह)जनवरी,(सन्)2007 से प्रवृत्त होगी।
(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषाएं 2-जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006(अधिनियम संख्या-27 सन् 2006) से है;
(ख) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;
(ग) "माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम" का तात्पर्य माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम,1996(अधिनियम संख्या 26 सन् 1996) से है;
(घ) "परिषद्" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 20 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापाति सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरता परिषद् से है;
(ड.) "संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था या केन्द्र से है जो अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) और (3) में निर्दिष्ट आनुकल्पिक विवाद समाधान सेवा प्रदान कर रहा हो;
(च) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन नियुक्त परिषद् के अध्यक्ष से है;
(छ) "सदस्य"का तात्पर्य परिषद् के किसी सदस्य से है;
(ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

..................2..................

(झ) प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये है,

( ) नियमावली और अधिनियम में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो साधारण खण्ड अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

<u>नियुक्ति की रीति</u>

सदस्यों की नियुक्ति 3-(1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 21 की उपधारा(1)के खण्ड(दो)(तीन) या (चार)में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) जब परिषद् के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाय या उसके द्वारा त्याग-पत्र दे दिया जाय या यह समझा जाय कि उसने त्याग-पत्र दे दिया है या उसे पद से हटा दिया जाय या वह सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाय, तो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उस रिक्ति को भरने के लिये किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है।

सदस्यों की पदावधि 4-(1) अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के दिनांक से दो वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा ।

(2) अधिनियम की धारा 21 की उपधारा(1)के खण्ड(दो)(तीन) और (चार) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य परिषद् का सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह उस श्रेणी या हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जिसमें से उसे इस प्रकार नियुक्ति किया गया था ।

(3) परिषद् का कोई सदस्य सरकार को एक माह की लिखित रूप में सूचना देकर परिषद् से त्यागपत्र दे सकता है। किसी व्यक्ति के त्याग-पत्र को स्वीकार करने की शक्ति सरकार में निहित होगी ।

किसी सदस्य का हटाया जाना 5- सरकार किसी सदस्य को पद से हटा सकती है:-

(एक) यदि वह विकृत चित्त का हो और वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित हो;

(दो) यदि वह शोधाक्षम या दिवालिया हो या अपने ऋणदाताओं के भुगतान को लम्बित रखता हो;

......3.......

(तीन) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध हो जो भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) के अधीन दण्डनीय हो; या

(चार) यदि वह अध्यक्ष से छुट्टी प्राप्त किये बिना परिषद् की तीन लगातार बैठकों से और किसी भी दशा में पॉच लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहा हो; या

(पॉच) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे सरकार की राय में, सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ।

परिषद् के कृत्यों के निष्पादन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

6- परिषद् द्वारा अपने कृत्यों के निष्पादन में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनयी जायेगी:-

(एक) परिषद् एक माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(दो) सामान्यतः किसी बैठक के लिये कम से कम सात दिन की नोटिस दी जायेगी। किन्तु आत्यायिकता की दशा में,इससे कम अवधि की नोटिस पर, जैसा अध्यक्ष पर्याप्त समझें,बैठक बुलाई जा सकती है।

(तीन) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम,1996 की धारा 26 के निबन्धनों के अनुसार परिषद् एक या उससे अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त/या लगा सकता है।

(चार) परिषद्या विवाद का कोई पक्षकार परिषद् के अनुमोदन से साक्ष्य लेने में सहायता के लिये माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 27 के अधीन न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(पॉच) व्यथित सूक्ष्म या लघु उद्यम आपूर्तिकर्ता के संदर्भ/आवेदन में आपूर्तिकर्ता का पूरा विवरण और उसकी प्रास्थिति, आपूर्ति माल या सेवायें,आपूर्तिकर्ता और केता के मध्य भुगतान की तय की गयी शर्तें,यदि कोई हों,दिनॉक सहित प्राप्त किया गया वास्तविक भुगतान, देय धनराशि और अधिनियम की धारा 16 के अधीन सम्यक् रूप से संगणित ब्याज,जो ऐसे शपथ-पत्र द्वारा समर्थित होगा जिसपर आवश्यक न्यायालय शुल्क स्टाम्प के रूप में लगा होगा, का उल्लेख होगा। परिषद् का अध्यक्ष किसी याची से दावे का अग्रतर विवरण या दावे के समर्थन में किन्हीं ऐसे सुसंगत दस्तावेज जिन्हें वह कार्यवाही के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे, उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकता है। यदि

याची ऐसी संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त कारण से अनुमति प्रदान करे,ऐसा करने में विफल रहता है या ऐसा नहीं करता है तो परिषद् याची के नया संदर्भ प्रस्तुत करने के अधिकार,यदि वह ऐसा करने का अन्यथा हकदार है,पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यवाही को समाप्त कर सकता है।

याची संदर्भ की एक प्रति केता या केताओं,जिनके विरूद्ध संदर्भ निर्देशित किया गया है,को भी साथ साथ प्रेषित करेगा।

(छः) संदर्भ/आवेदन को, यदि उसे परिषद् के कार्यालय में प्रदान किया जाता है,तत्काल स्वीकार किया जायेगा। जहॉ सदर्भ/आवेदन रजिस्ट्रीकृत/डाक द्वारा प्राप्त किया जाय, वहॉ उसकी रशीद उसी दिन स्वीकार की जायेगी। अध्यक्ष केता से संदर्भ का विस्तृत उत्तर केता द्वारा संदर्भ की प्राप्ति के दिनॉक से पन्द्रह दिन के भीतर या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसे अग्रतर समय के भीतर जिसकी वह पर्याप्त कारण से अनुमति प्रदान करे, प्रस्तुत करवा सकता है।

(सात) अधिनियम की धारा 18 के अधीन किसी संदर्भ की प्राप्ति पर, परिषद् का अध्यक्ष संदर्भ और उक्त से संबंधित उनसे उत्तर का परीक्षण करायेगा और विलम्बित भुगतान को प्रथम दृष्टया मामला बनाने वाले संदर्भ से समाधान कर लेने के पश्चात् संदर्भ को परिषद् के समक्ष उसकी ठीक आगामी बैठक में विचार करने के लिये रखवाएगा । अध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करायेगा कि परिषद् की अन्तिम पूर्ववर्ती बैठक के दिनॉक के दो सप्ताह के भीतर प्राप्त प्रत्येक संदर्भ का परीक्षण कर लिया जाय और यदि उसे नियमानुसार पाया जाए तो उसे परिषद् के विचार के लिये उसकी ठीक अगली बैठक में रखा जाय।

(आठ) परिषद् अपने समक्ष रखे गये प्रत्येक संदर्भ में या तो स्वंम सुलह करवाएगा या आनुकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान कर रही किसी ऐसी संस्था या केन्द्र की सहायता सुलह

(नौ) परिषद या संस्था, जिसे उसे सुलह के लिये संदर्भित किया गया है, सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता या क्रेता से इस निमित्त दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी करके अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी। दोनों पक्षकारों के उपस्थित हो जाने पर, परिषद् या संस्था पहले क्रेता और प्रदायक के मध्य सुलह कराने की प्रयास करेगी संस्था परिषद् के समक्ष अपनी रिपोर्ट परिषद् से संदर्भ की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जैसा परिषद् विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी।

(दस) जब ऐसे सुलह से विवादों का निपटारा न हो तो परिषद माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के उपबन्धों के अनुसार विवाद के अन्तिम निपटारा के लिये या तो स्वयं माध्यस्थम् के रूप में कार्य करेगा या उसे ऐसे माध्यस्थम् के लिये किसी संस्था को निर्दिष्ट करेगा। आपूर्तिकर्ता या क्रेता माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान अपने मामले को या तो वैयक्तिक रूप से या किसी न्यायालय में पंजीकृत अपने वकील के माध्यम से परिषद् या संस्था के समक्ष प्रस्तुत करेगा। संस्था अपनी रिपोर्ट परिषद् के समक्ष ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगी जैसा परिषद् नियत करे।

(ग्यारह) परिषद् का कोई विनिश्चय परिषद् की बैठक में उपस्थित उसके सदस्यों की बहुमत द्वारा किया जायेगा। परिषद् के सदस्यों की गणपूर्ति अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्य से होगी।

(बारह) परिषद् माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 31 के अनुसार एवं अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर एक माध्यस्थम् पंचाट प्रदान करेगा। पंचाट को प्रवृत्त सुसंगत विधि के अनुसार स्टाम्पित किया जायेगा। पंचाट की प्रतियाँ किसी आवेदन के दाखिल किये जाने के सात दिन के भीतर उपलब्ध करायी जायेंगी।

(चौदह) अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ,परिषद् की वर्षिक प्रगति रिपोर्ट के साथ अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन गठित सलाहकार समिति के सदस्य-सचिव के पास भेजेगा।

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN

Laghu Udyog Anubhag-5

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification N0.68 /18-5-2007-60(S.P)/2006, dated January 19, 2007

NOTIFICATION

No. 68 /18-5-2007-60(S.P)/2006

Dated:Lucknow: January,19,2007

In exercise of the powers conferred by section 30 read with sub-section(3) of section 21 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006 (Act no 27 of 2006),the Governor is pleased to make the following rules namely:-

THE UTTAR PRADESH STATE MICRO AND SMALL ENTERPRISES FACILITATION COUNCIL RULES, 2006

Short title and commencement 1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules,2006

(2) They shall come into force with effect from the19day of 01(month) 2007(year)

(3) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh

Definitions:- 2-In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Act.no.27 of 2006);

(b) "Section" means a section of the Act;

(c) "Arbitration and Conciliation Act" means the Arbitration and Conciliation Act,1996 (Act no.26 of 1996);

(d) "Council" means the Micro and Small Enterprises Facilitation Council, established by the Government of Uttar Pradesh under section 20 of the Act;

(e) "Institute" means any institution or centre providing alternate dispute resolution services referred to in sub-section (2) and (3) of section 18 of the Act;

(f) "Chairperson" means the Chairperson of the Council appointed under clause (i) of sub-section (1)of section 21 of the Act;

(g) "Member" means a member of the Council;

(h) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(i) The words and expressions used and not defined, but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

(j) The words and expressions not defined in the rules and Act shall have the meaning assigned to them in General Clauses Act.

Appointment of members. 3-(1)The Government shall appoint the representatives, specified in clauses (ii),(iii) or (iv) of sub-section (1)of section 21 of the Act, as members of the Council.

(2)When a member of the council dies or resigns or is deemed to have resigned or is removed from office or becomes incapable of acting as a member, the Government may by notification in the Gazette appoint a person to fill that vacancy.

Terms of office of a members. 4(1)A member, other than the Chairperson, shall hold office for a period not exceeding two years from the date of his appointment.

(2)A member appointed under clauses (ii),(iii)and (iv)of sub-section(1)of section 21 of the Act shall cease to be a member of the council if he ceases to represent the category or interest from which he was so appointed.

(3)A member of the Council may resign from the Council by tendering one month's notice in writing to the Government. The power to accept the resignation of a member shall vest in the Government.

Removal of a member. 5- The Government may remove a member from office,

(i) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(ii) if he becomes bankrupt or insolvent or suspends payment to his creditors, or

(iii) if he is convicted of any offence which is punishable under the Indian Penal Code (Act XLV of 1860);or

(iv) if he absents himself from three consecutive meetings of the council without the leave of the Chairperson, and in any case from five consecutive meetings; or

(v) acquires such financial or other interest as is likely, in the opinion of the Government, to effect prejudicially his functions as a member.

6-The following procedure shall be followed by the council in the discharge of its functions:-

(i) The Council shall meet at least once a month.

(ii)At least seven days' notice shall ordinarily be given for any meeting. However, in case of urgency a meeting may be called at such shorter notice as the Chairperson may consider sufficient.

(iii)The Council may appoint/or engage the services of one or more experts in terms of section 26 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

(iv)The Council, or a party to the dispute with the approval of the Council, may apply to the court under section 27 of the Arbitration and Conciliation Act,1996 for assistance in taking evidence.

(v) The reference/application of the aggrieved micro or small enterprise supplier shall contain full particulars of the supplier and its status, supplied goods or services, terms of payment, if any, agreed between the supplier and buyer, actual payment received with date, amount due and the interest duly calculated under section 16 of the Act, supported by an affidavit, with necessary court fee stamp affixed thereon. The Chairperson of the Council may require any petitioner to provide further particulars of the claim or any relevant documents in support of the claim as he may consider necessary for the purpose of the proceedings. If the petitioner fails or omits to do so within fifteen days of receipt of such communication or within such further time as the Chairperson may, for sufficient cause, allow, the Council may terminate the proceedings without prejudice to the right of the petitioner to make fresh reference if he is otherwise entitled so to do The petitioner shall also simultaneously send a copy of the reference to the buyer or buyers against whom the reference is directed.

(vi) The reference/application shall be acknowledged forthwith if it is delivered at the office of the Council. Where the reference/application is received by registered post, its receipt shall be acknowledged on the same day. The Chairperson shall cause the buyer to furnish his detailed response to the reference within fifteen days of receipt of the reference by the buyer or within such further time not exceeding fifteen days, as he may, for sufficient cause, allow.

(vii) On receipt of a reference under section 18 of the Act, the Chairperson of the Council shall cause the reference and the buyers response thereto to be examined and, on being satisfied with the reference making a prima facie case of delayed payment, cause the reference to be placed before the Council at its next immediate meeting for consideration. The Chairperson shall also ensure that each reference received within two weeks of the date of the last preceding meeting of the Council is examined and, if found in order, is placed for consideration of the Council at its next immediate meeting.

(viii) The Council shall either itself conduct conciliation in each reference placed before it or seek the assistance of the any institute or centre providing alternate dispute resolution services by making a reference to such an institution or centre for conducting conciliation. The provisions of sections 65 to 81 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply to such a reference as if the conciliation was initiated under Part III of that Act.

(ix) The Council or the Institute to which it has been referred for conciliation shall require the supplier and the buyer concerned to appear before it by issuing notices to both parties in this behalf. On the appearance of both parties , the Council or the Institute shall first make

efforts to bring about conciliation between the buyer and the supplier.The Institute shall submit its report to the Council within fifteen days of reference from the Council or within such period as the Council may specify.

(x)When such conciliation does not lead to settlement of the dispute, the Council shall either itself act as an Arbitrator for final settlement of the dispute or refer it to an institute for such arbitration, in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act,1996.The supplier or the buyer may, either in person or through his lawyer registered with any court, present his case before the Council or the Institute during the arbitration proceedings. The Institute shall submit its report to the Council with in such time as the Council may stipulate.

(xi) Any decision of the Council shall be made by a majority of its members present at the meeting of the Council. **Quoram** for meetings of the Council shall be Chairperson and at least two members.

(xii) The Council shall make an **Arbitral award** in accordance with section 31of the Arbitration and Conciliation Act1996 and within the time specified in sub-section (5) of section 18 of the Act. The award shall be stamped in accordance with the relevant law in force. Copies of the award shall be made available within seven days of filing of any application.

(xiii) The provisions of sections 15 to 23 of the Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

(xiv) The Chairperson or any other officer authorised by the Chairperson shall forward the proceedings of every meeting of the Council including annual progress report of the Council to the Member-Secretary of the Advisory Committee constituted under sub-section (3) of the section 7 of the Act.

(Govindan Nair)
Principal Secretary.